

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.2 (ग) (1)पदस्थापन/2017-18/अलेसे-1/ 1074

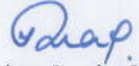
दिनांक :- 08/01/2018

कार्यालय आदेश

प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा क्रमांक प.5(1)प्रसु/सम/अनु-1/2008 दिनांक 09.09.2016 के द्वारा स्थानान्तरण में प्रदत्त शिथिलता के अनुसरण में इस निदेशालय के द्वारा जारी आदेश संख्या 263 से 272/2017-18 दिनांक 24.12.2017 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी करते हुए यह निर्देशित किया गया था कि स्थानान्तरित कार्मिक कार्यग्रहण अवधि का उपयोग किये बिना अविलम्ब कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करेंगे। विभिन्न विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा संबंधित कार्मिकों को अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने नवपदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया है।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आदिनांक कार्यमुक्त नहीं किए जाने की स्थिति में स्थानान्तरणाधीन कार्मिक अविलम्ब संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें। लिखित अनुरोध के 3 दिवस में कार्यमुक्त नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित कार्मिक विभाग की ई-मेल (1) aao1.dta@rajasthan.gov.in (सलेअ-1 के लिए) (2) aao2.dta@rajasthan.gov.in (सलेअ-2 के लिए) (3) jacct.dta.rajasthan.gov.in (कनिष्ठ लेखाकार के लिए) पर अविलम्ब सूचित करना सुनिश्चित करें।

अतः समस्त स्थानान्तरणाधीन कार्मिकों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान कार्यालय से अविलम्ब कार्यमुक्त होकर आवश्यक रूप से तीन दिवस में नवपदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर इस निदेशालय को सूचित करें, अन्यथा संबंधित कार्मिक/कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी, सूचित रहें।

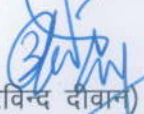

(परमेश्वरी चौधरी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (ग) (1)पदस्थापन/2017-18/अलेसे-1/ 1074

दिनांक :- 08/01/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके यहां पदस्थापित स्थानान्तरणाधीन कार्मिक को अविलम्ब कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
3. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी/ विभाग के लेखा प्रमुख को प्रेषित कर अनुरोध है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करावें।
4. संबंधित कोषाधिकारी को प्रेषित कर निर्देश है कि संबंधित जिले में स्थानान्तरणाधीन कार्मिकों के कार्यमुक्त न होने पर इस विभाग को ई-मेल से अवगत करावें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. श्री.....सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I/II/क.लेखाकार कार्यालय..... को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब फ़ैक्स अथवा विभागीय ई-मेल पर इस विभाग को भिजवायें अन्यथा आवशों की अवहेलना के लिए आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।


(अरविन्द दीवान) 8.1.2018
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)